गोदामों में सड़ते अनाज बच्चे फिर भी भूखे आज!

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार –

- मध्यान्ह भोजन स्कूल जाने वाले हर बच्चे का हक है। यह भोजन पका हुआ, स्वादिष्ट और पौष्टिक होना चाहिए।
- यह अधिकार एक लम्बे जनसंघर्ष का नतीजा है।
- लेकिन तमाम स्कूलों में अभी तक सिर्फ चावल नमक या दलिया जैसा साधारण खाना दिया जाता है। कुछ में तो मध्यान्ह भोजन बिल्कुल नहीं मिलता।

जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू करने के लिए जरूरी है कि –

- खाना पकाने के लिए हर स्कूल में सहायिका की नियुक्ति हो।
- खाना बनाने के लिए साफ सुथरी जगह हो।
- खाना पौष्टिक और स्वादिष्ट हो।
- सभी बच्चे एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भोजन करें।
- पीने का साफ पानी उपलब्ध हो।

हम क्या कर सकते हैं–

- स्कूलों की सामाजिक निगरानी की जाए।
- योजना में भ्रष्टाचार और ठेकेदारों को घुसने न दें ।
- मध्यान्ह भोजन योजना ठीक से चलाने में ग्राम पंचायत सक्रिय सहयोग करें।
- महिला समिति और युवक संघ जैसे गाँव के सामाजिक संगठन मध्यान्ह भोजन पर निगरानी रखें।
- इस मुद्दे पर काम कर रहे स्थानी संगठनों के संपर्क में रहें और उनसे जुड़ें ।
- किसी भी किस्म के सामाजिक भेदभाव की सूचना पर तुरंत शिकायत और कार्यवाही करें।

विस्तृत जानकारी तथा सहयोग के लिए सम्पर्क करें–

रोज़ी-रोटी अधिकार अभियान
c/o 257, डी.डी.ए. फ्लैट्स (आर.पी.एस),
मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.
फोन: 011-23510042
ई-मेल: righttofood@gmail.com
www.righttofoodindia.org